

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएसीपी/ 31260-6719374/जोन-जयपुर/2025/13543411 दिनांक- 17/2/25

::आदेशः

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1)एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुरारण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं दिनांक 01.04.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार MACP स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	MACP देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन शृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन शृंखला
1	विमला कुमारी म.स्वा.कार्यकर्ता	झुन्झुनु	05.11.1996	05.11.2023 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
2	सुभिता म.स्वा.कार्यकर्ता	झुन्झुनु	05.11.1996	05.11.2023 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

1-यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएसीपी/ 31260-6719374/जोन-जयपुर/2025/13543411 दिनांक- 17/2/25
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी ।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
 Designation: Director
 Date :17-02-2025 10:49:10